

क्रमांक:-आरटीआई/एनआरएचएम/2025/F.No 10/ 445

दिनांक 31/1/25

रजिस्टर्ड

समस्त अधीक्षक/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु।

सन्दर्भ:- राज्य नोडल अधिकारी आई.ए.पी. की अनौ0 टिप0 क्रमांक 555 दिनांक 30.01.2025 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक श्री सुनील पंवार, पुत्र श्री प्रभुराम पंवार, भूतनाथ महादेव मन्दिर के पास, नया तेलीवाडा, जिला नागौर 341001 (राज0) द्वारा चाही गई सूचना जननी एक्सप्रेस योजना के तहत जिला कन्ट्रोल रूप के संचालन हेतु आर.एम.आर.एस. के माध्यम से कार्मिक लगाये गये हैं के संबंध में सूचना प्रदान की जानी है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा रहा है।

अतः आवेदक द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार सीधे ही आवेदक को भिजवाते हुये एक प्रति अद्योहस्तारकर्ता को भिजवाने का श्रम करे।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

राज्य लोक सूचना अधिकारी
(एनएचएम) चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

क्रमांक:-आरटीआई/एनआरएचएम/2025/F.No 10/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
2. राज्य नोडल अधिकारी आई.ए.पी. मुख्यालय।
3. श्री सुनील पंवार, पुत्र श्री प्रभुराम पंवार, भूतनाथ महादेव मन्दिर के पास, नया तेलीवाडा, जिला नागौर 341001 (राज0) को सूचनार्थ प्रेषित है। रजिस्टर्ड
- ✓ 4. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेत।

राज्य लोक सूचना अधिकारी
(एनएचएम) चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

अनौपचारिक टिप्पणी

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदनकर्ता श्री सुनील पंवार, नागौर (राज.) द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में।

संदर्भ:- अनौपचारिक टिप्पणी आरटीआई/ एनएचएम/2025/एफ नं.-10/298 दिनांक 23.01.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अनौपचारिक टिप्पणी के क्रम में सूचना प्राप्त हेतु आवेदनकर्ता श्री सुनील पंवार, पुत्र श्री प्रभुराम पंवार, वाया पोस्ट भूतनाथ महादेव मंदिर के पास, नया तेलीपाड़ा नागौर (राजस्थान) से प्राप्त पत्र में चाही गई सूचना के अन्तर्गत सूचना का जवाब निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है:-

क्र. सं.	सूचना का विवरण	सूचना
1.	राजस्थान में 02 अक्टूबर 2012 से जननी एक्सप्रेस योजना (104) लागू हुई थी। इस योजना के तहत किन-किन कार्मिकों को संविदा पर लिया गया है। संपूर्ण सूचना उपलब्ध करवायें। (नाम और मोबाईल नंबर)	जननी एक्सप्रेस योजना का संचालन 02 अक्टूबर 2012 को किया गया। उक्त योजना के तहत जिला चिकित्सालय में स्थापित जिला कंट्रोल रूम के संचालन हेतु एमआईएस एक्सपर्ट कम ऑपरेटर का चयन संबंधित चिकित्सालय के आरएमआरएस के माध्यम से किया गया था। शेष चाही गयी सूचना का संधारण राज्य स्तर पर नहीं किया जाता है।
2.	जननी एक्सप्रेस योजना के तहत संविदा पर नियुक्त कार्मिकों का मानदेय में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत अभिवृद्धि की जाती है। संपूर्ण सूचना उपलब्ध करवायें।	जननी एक्सप्रेस योजना के तहत कार्यरत एमआईएस एक्सपर्ट कम ऑपरेटर परिवर्तित नाम डीएनओ आईएपी का अनुबंध जिला चिकित्सालयों के माध्यम से किया गया है। शेष चाही गयी सूचना का संधारण राज्य स्तर पर नहीं किया जाता है।
3.	जननी एक्सप्रेस योजना के तहत संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को सीएसआर रूल्स 2022 में शामिल किया गया है या नहीं?	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीएसआर रूल्स-2022 नियमों के तहत सेवाप्रदाता द्वारा नियुक्त कार्मिकों को संविदा सेवा में लिये जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(डा. एस. लाल)
राज्य नोडल अधिकारी,
आई.ए.पी.

नोडल अधिकारी, आरटीआई, एन.एच.एम.

यू.ओ.नोट क्रमांक : F.23 ()/NHM/ISC/RTI/2020-21/555

Signature valid

Dated - 30/1/2025



Digitally signed by Dr. Suwa Lal
Designation: State Nodal Officer
Date: 2025.01.29 17:29:48 IST
Reason: Approved

सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 6(1) के अन्तर्गत)

प्रेषिति,

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय - श्रीमान परियोजना निदेशक एनएचएम जयपुर।
आवेदक का पूरा नाम - सुनील पंवार पुत्र श्री प्रभुराम पंवार
पता - भूतनाथ महादेव मन्दिर के पास नया तेलीवाड़ा नागौर।

SNO 11AP
2/11/25

सूचना की विशिष्टियां-

विभाग कार्यालय का नाम, जिससे सूचना संबंधित है- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।

सूचना की प्रकृति - राज्य सरकार योजना (जननी एक्सप्रेस योजना (104))

अवधि - सात दिवस।

चाही गई सूचना का विवरण-

05
02/11/25

01. राजस्थान में 02 अक्टूबर 2012 से जननी एक्सप्रेस योजना (104) लागू हुई थी। इस योजना के तहत किन किन कार्मिकों को संविदा पर लिया गया है। सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करवायें। (नाम और मोबाइल नम्बर)
02. जननी एक्सप्रेस योजना के तहत संविदा पर नियुक्त कार्मिकों का मानदेय में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत अभिवृद्धि की जाती है। सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करवायें।
03. जननी एक्सप्रेस योजना के तहत संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को सीएसआर रूल्स 2022 में शामिल किया गया है या नहीं?

क्या फीस के देने का सबूत संलग्न कर दिया है?

आवेदन शुल्क रूपये 10 नकद -

डी.डी./ बैंकर्स चैक न0/पोस्टल आर्डर - 66F 278019

बैंक का नाम/पोस्ट ऑफिस का नाम - प्रधान डाकघर नागौर।

रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क -

फोटो प्रति शुल्क -

यदि आवेदक बीपीएल परिवार से है दस रूपये की फीस देय नहीं है।

बीपीएल संख्या -

स्थान - नागौर

दिनांक - 30.12.2024

SPL-IAA
527
7/11/25

सुनील पंवार

आवेदक के हस्ताक्षर

मो0 9079770767

1050
7/11/25